खण्ड-408, अंक-2
बृहस्पतिवार, 25 अग्रहायण, शक संवत् 1915
(16 दिसम्बर, 1993 ई0)

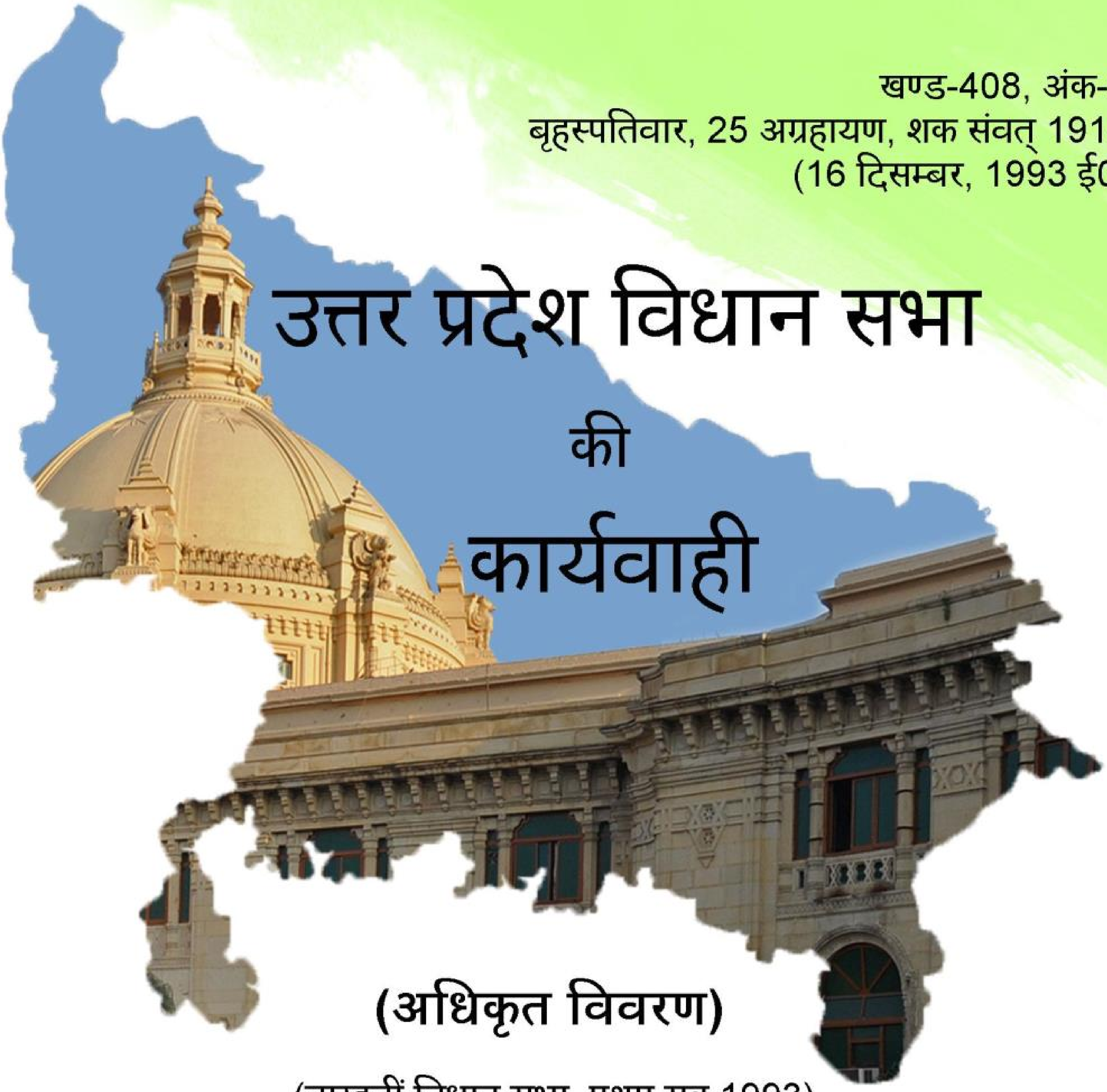

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(बारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1993)

खण्ड 408 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1993

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	
राष्ट्र गीत	1
श्री कल्याण सिंह की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में, नियम 311 के अन्तर्गत सूचना उठाने का प्रयास	1
श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पाठ ..	2-8

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, दिनांक 16 दिसम्बर, 1993

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अजय प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा	प्रीतम सिंह, श्री	देहरादून
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	माया शंकर पाठक, श्री	वाराणसी
उर्मिला देवी यादव, श्रीमती	मैनपुरी	मेवा लाल बागी, श्री	वाराणसी
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़	राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री	फर्रुखाबाद
जगरनाथ चौधरी, श्री	जौनपुर	राम सरन वर्मा, श्री	पीलीभीत
जवाहर लाल दिवाकर, श्री	इलाहाबाद	रामेश्वर दयाल, श्री	मैनपुरी
दीनानाथ भास्कर, श्री	वाराणसी	रिजवान जहीर, श्री	गोण्डा
परशुराम, श्री	फैजाबाद	शिव राम, श्री	जालौन
प्रभा रावत, श्रीमती	गोरखपुर	सुन्दर पाल सिंह, श्री	सीतापुर
प्रवीण सिंह ऐरन, श्री	बरेली	हृदय नारायण, श्री	उन्नाव

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, दिनांक 16 दिसम्बर, 1993

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप लखनऊ में दिन के 12 बजकर 30 मिनट पर अध्यक्ष श्री धनीराम वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

श्री अध्यक्ष–

पहले राष्ट्र-गीत होगा ।

राष्ट्र-गीत

वन्दे मातरम्
वन्दे मातरम् । वन्दे मातरम् ॥
सुजलाम् ।
सुफलाम् ।
मलयज शीतलाम् ।
शस्य श्यामलाम् ।
मातरम् । वन्दे मातरम् ॥
शुभ्र-ज्योत्सनाम्-पुलकित-यामिनीम्
फुल्ल-कुसुमित-द्रुमदल-शोभनीम्
सुहासिनीम्
सुमधुर भाषिणीम्
सुखदाम्
वरदाम्
मातरम् । वन्दे मातरम् ॥

(सभी सदस्यों ने खड़े होकर राष्ट्र-गीत गाया)

(राष्ट्र-गीत ''वन्दे मातरम्'' की समाप्ति पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से ''भारत माता की जय'' ''जय श्रीराम'' के नारे लगाये गये)

(व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना उठाने का प्रयास

उप नेता विरोधी दल (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैंने नियम 311 के अन्तर्गत नियमों को निलम्बित किये जाने के सम्बन्ध में एक सूचना दी है, कृपया सुन लें ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पाठ

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण, राज्य की विधान सभा के लिए सामान्य निर्वाचन के पश्चात् विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के इस.....

(घोर व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है.....

उप नेता विरोधी दल (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैंने आपको एक लिखित सूचना दी है, कृपया सुन लें।

(घोर व्यवधान के मध्य भारतीय जनता पार्टी के अनेक सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये और नारे लगाने लगे "कल्याण नहीं, सदन नहीं"।)

(अनेक सदस्य विधान सभा रक्षकों से धक्का-मुक्की करते हुए कार्यवृत्त लेखक एवं सचिव के डायस पर चढ़कर लगातार "कल्याण सिंह नही, तो सदन नहीं" के नारे लगाते रहे।

इस बीच एक सदस्य ने सचिव के डायस पर चढ़कर माइक उखाड़ लिया जिसे विधान सभा रक्षकों ने प्रयास कर उनसे ले लिया। सदन में भारी अव्यवस्था एवं शोरगुल उत्पन्न हो गया।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जायं। कृपया शान्ति बनाये रखें।

(श्री अध्यक्ष ने श्री राज्यपाल का अभिभाषण पढ़ना जारी रखा)

(सदन के फ्लोर पर खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नारे लगाते रहे "कल्याण नहीं, तो सदन नहीं")

[अधिवेशन के अवसर पर आपको सम्बोधित करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। इसके साथ ही मुझे इस बात का दुःख है कि हमारे बीच विधान परिषद् के सदस्य श्री ज्ञान चन्द्र द्विवेदी और श्री केशव कुमार शर्मा नहीं रहे। मैं उनकी दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस बीच जो अन्य महान विभूतियां हमारे बीच नहीं रहीं उन दिवंगत आत्माओं के प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस संबंध में विशेषकर श्रीमती ललिता शास्त्री और भारतरत्न श्री जे० आर० डी० टाटा के नामों का उल्लेख करना चाहूंगा। मैं उन आत्माओं के प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जो बम्बई में हुए बम बिस्फोटों और महाराष्ट्र और कर्नाटक में आये भीषण भूकम्प की त्रासदी के कारण दिवंगत हुईं।

इस अवसर पर मैं बारहवीं विधान सभा के लिए चुने गये सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे आशा है कि विधान सभा के लिए निर्वाचित सभी सदस्य जिनसे जनता को अनेक आशायें, आकांक्षायें और अपेक्षायें हैं, अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन उन आशाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप लोकतांत्रिक मर्यादाओं और परम्पराओं तथा देश और प्रदेश के वृहद् हित को ध्यान में रखकर करेंगे।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गत 6 दिसम्बर, 1992 को जिन परिस्थितियों में इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ उनसे आप भली-भांति अवगत हैं। उस दिन अयोध्या में जो कुछ घटित हुआ उससे हमारे धर्म निरपेक्ष स्वरूप पर कुठाराघात हुआ है। उस घटना के साथ यह प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश एक असामान्य परिस्थिति से गुजरा और समस्त विश्व में उसकी प्रतिक्रिया हुई। विधान सभा के लिए हुए सामान्य निर्वाचन में मेरी सरकार को जो जनादेश प्राप्त हुआ है उससे स्पष्ट है कि राज्य की जनता साम्प्रदायिकता के विरुद्ध है और वह साम्प्रदायिक सौहार्द, सहिष्णुता, भाईचारा और सह-अस्तित्व में विश्वास करती है। इसलिए सरकार का पूरा प्रयास होगा कि राज्य में सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा हो और सब मिलकर राज्य को आर्थिक तथा सामाजिक विकास की दिशा में आगे बढ़ाने में परस्पर सहयोग करें।

मेरी सरकार को कार्यभार ग्रहण किये हुए अभी दो सप्ताह भी नहीं हुए हैं। इस बीच सरकार ने समाज के निर्बल वर्गों, किसानों, छात्रों और व्यापारियों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं और साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए अनेक कदम उठाये हैं। अनेक विकास कार्यक्रमों की संरचना पर मेरी सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है जिनको शीघ्र ही अन्तिम रूप देकर उनका कार्यान्वयन किया जायेगा ताकि यह राज्य आर्थिक और सामाजिक विकास की दिशा में तेजी से अग्रसर हो सके। विकास की गति तीव्र करने के उद्देश्य से जहां एक ओर अतिरिक्त संसाधन जुटाने के प्रयास किये जायेंगे वहीं अनुत्पादक व्यय में कमी की जायेगी ताकि विकास कार्यों के लिए अधिकतम संसाधन उपलब्ध हो सकें।

यह सर्वविदित है कि हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और यहां की अधिसंख्य जनता ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है व खेती पर निर्भर है। इसलिए त्वरित ग्रामीण विकास एवं किसानों की समस्याओं का निराकरण मेरी सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय होगा। ग्राम्य विकास कार्यक्रमों का पुनर्विलोकन इस आधार पर किया जायेगा ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम रोजगार के अवसर सृजित हो सकें। कृषि विकास के लिए विभिन्न निवेशों की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाने के लिए विभिन्न अवस्थापना सुविधायें जैसे सिंचाई, बिजली एवं सड़कों का सर्वोच्च स्थान है। खेती की दशा सुधारने के लिए यह भी आवश्यक है कि सिंचाई के साधन पर्याप्त हों और यथाशक्य शीघ्र सभी किसानों की कृषि योग्य भूमि को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सके। सरकार का यह लक्ष्य होगा कि प्रदेश के असिंचित क्षेत्र में राजकीय अथवा निजी साधनों के माध्यम से सिंचाई की सुविधा समयबद्ध कार्यक्रमानुसार उपलब्ध करायी जाय। सभी नहरों, रजबहों एवं माइनरों के अन्तिम छोर तक पानी पहुंचाने और सभी बन्द राजकीय नलकूपों को दोषमुक्त करने की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर की जायेगी। प्रदेश में विद्युत व्यवस्था में सुधार लाने के लिए वांछित कदम उठाये जायेंगे। किसानों को 16 घण्टे विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने के आदेश दे दिये गये हैं ताकि कृषि कार्य के लिए पर्याप्त विद्युत मिल सके। किसानों को उपलब्ध करायी जा रही अन्य सभी सुविधाओं में तत्काल सुधार लाया जायेगा। मेरी सरकार का निश्चित मत है कि किसानों को अपनी उपज का लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए और कृषि उपज को प्रदेश के बाहर भेजने में किसी प्रकार की बाधायें नहीं होनी चाहिए।

प्राकृतिक आपदाओं, यथा बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि तथा आग से किसानों को अप्रत्याशित वित्तीय क्षति का सामना करना पड़ता है। इस समस्या के समाधान की प्रभावी व्यवस्था की जायेगी और प्रदेश में अनिवार्य फसल बीमा योजना जैसे कार्यक्रम बनाये जायेंगे।

समाज के निर्धन, दलित, मेहनतकश मजदूरों, अल्पसंख्यकों एवं पिछड़े वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए मेरी सरकार विशेष प्रयास करेगी जिससे वे राज्य के विकास कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण योगदान कर सकें और अपना जीवन सुरक्षा, सम्मान एवं समता के वातावरण में व्यतीत कर सकें। अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचारों को समाप्त करने के लिए प्रभावी कदम उठाये जायेंगे। अम्बेडकर ग्राम कार्यक्रम जिसके अन्तर्गत इन ग्रामों में सभी अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध करायी जाती हैं, का तीव्रगति से विस्तार किया जायेगा। आगामी पांच वर्ष के भीतर राज्य में सभी आधुनिक सुविधाओं से सम्पन्न दस हजार अम्बेडकर गांव स्थापित करने का प्रयास किया जायेगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को आवास सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अम्बेडकर आवास योजना प्रारम्भ की जायेगी।

निषाद और कहार जाति के व्यक्ति जो परम्परागत रूप से मत्स्य पालन का कार्य करते हैं, को अपने व्यवसाय हेतु तालाबों के पट्टे मिलने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मेरी सरकार उक्त श्रेणी के लोगों को तालाबों के पट्टे दिये जाने की समुचित व्यवस्था करेगी। कुम्हारी का कार्य करने में लगे प्रजापति समाज के लोगों के पेशे में सुधार के लिए उन्हें जमीन पट्टे पर दी जायेगी ताकि उन्हें अपनी कला, हस्त-शिल्प और अपने पेशे के लिए मिट्टी बिना किसी कठिनाई के उपलब्ध हो सके। वर्तमान प्रणाली के अन्तर्गत नगर पालिकाओं एवं नगर महापालिकाओं में कार्यरत महिला सफाई कर्मचारियों को अन्य सफाई कर्मचारियों की भांति प्रातः 6.30 बजे कार्य पर आना पड़ता है जिसके कारण उन्हें अपने बच्चों को विद्यालय भेजने में असुविधा होती है। इसलिए मेरी सरकार ने स्थानीय निकायों से अपेक्षा की है कि महिला सफाई कर्मचारियों की उक्त असुविधा को दूर करने के लिए उनकी उपस्थिति का समय प्रातः 6.30 बजे के स्थान पर 8.30 बजे से कर दिया जाय। यह भी निर्णय लिया गया है कि डा० अम्बेडकर जयन्ती और बाल्मीकि जयन्ती के अवसरों पर राज्य में सार्वजनिक अवकाश रहेगा।

लोकतांत्रिक और पंचायती राज संस्थाओं द्वारा चौखम्भा राज स्थापित करने की अवधारणा तथा उनके सुदृढ़ीकरण के प्रति प्रतिबद्धता के अनुरूप मेरी सरकार का विचार है कि निर्वाचित ग्राम प्रधानों को निलम्बित करने का जो अधिकार परगना अधिकारी को है उसके स्थान पर ग्राम प्रधानों की गरिमा को दृष्टिगत रखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था शीघ्र की जाय। संविधान में हुए संशोधनों के अनुरूप पंचायती-राज व्यवस्था से संबंधित अधिनियम में समुचित संशोधन करने की दृष्टि से वर्तमान अधिनियम को प्रतिस्थापित करने के लिए नया विधेयक आपके विचारार्थ अतिशीघ्र प्रस्तुत करने पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

सरकार शिक्षा में गिरते हुए स्तर से चिन्तित है। ग्रामीण बालकों के लिए सभी स्थानों पर प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकी है। इसलिए प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। प्रत्येक गांव सभा में प्राथमिक विद्यालय की व्यवस्था और प्रत्येक न्याय पंचायत में एक पूर्व माध्यमिक विद्यालय की व्यवस्था तीन वर्ष में करने के लक्ष्य को सामने रखते हुये योजना बनाई जायेगी। प्राथमिक शिक्षा की प्रणाली को अधिक प्रभावी और उत्तरदायित्वपूर्ण बनाने की दृष्टि से उसके विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था की जायेगी। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के प्रकाश में स्थानीय जन प्रतिनिधियों की भूमिका को और महत्वपूर्ण बनाया जायेगा। बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जायेगा और प्रत्येक विकास खण्ड में एक बालिका इंटर कालेज की स्थापना की योजना बनाई जायेगी। सरकार सबको समान शिक्षा देने की पक्षधर है। देश की अन्य भाषाओं के पठन-

पाठन की समुचित व्यवस्था की जायेगी । इसके साथ ही उर्दू की तरक्की के लिये आवश्यक कदम उठाये जायेंगे । परम्परागत संस्कृत पाठशालाओं के साथ ही अरबी मदरसों के विकास के लिये मेरी सरकार प्रतिबद्ध है । छात्र और छात्राओं एवं अध्यापकों के सम्मान की पुनर्स्थापना की प्रतिबद्धता के अनुरूप एक महत्वपूर्ण कदम यह उठया गया है कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 1992 को निरसित कर दिया गया है । परीक्षार्थी अपने विद्यालयों से ही परीक्षा दे सकेंगे । परीक्षा प्रणाली में सुधार लाने तथा शिक्षा प्रणाली में व्याप्त रोग, जिसका नकल एक लक्षण है, को दूर करने के लिये शिक्षाविदों, शिक्षकों, छात्र प्रतिनिधियों, पत्रकारों एवं अन्य बुद्धिजीवियों के साथ गोष्ठी करके उनके सुझाव प्राप्त किये जायेंगे । विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को समुचित महत्व देते हुये ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी कि विश्वविद्यालयों की सरकार पर आर्थिक निर्भरता समाप्त हो ।

राज्य में बेकारी की समस्या से आज का युवक त्रस्त है । इस मूल समस्या के निराकरण की आवश्यकता के प्रति मेरी सरकार सजग है । राज्य की आर्थिक और औद्योगिक नीति पर नये सिरे से विचार करके यह प्रयास किया जायेगा कि नौजवानों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध हों ।

मेरी सरकार ने पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिये और समाज में उन्हें एक सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिये सरकारी नौकरियों में मण्डल कमीशन की संस्तुति के अनुसार 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था को लागू कर दिया है ।

बाबरी मस्जिद एवं राम जन्म भूमि विवाद का ऐसा हल ढूढ़ने के लिये मेरी सरकार वचनबद्ध है जिससे किसी पक्ष को विजय या पराजय का अहसास न हो । यदि आपसी बातचीत से कोई निर्णय नहीं होता है तो सरकार इस प्रकरण में उच्चतम न्यायालय के फैसले को लागू करने के लिये प्रतिबद्ध रहेगी ।

समता मूलक समाज बनाने के लिये शासन एवं प्रशासन में सभी वर्गों की भागीदारी पर विशेष बल दिया जायेगा । अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिये सतर्कता बरती जायेगी और अल्पसंख्यकों की मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बुनकरों, दस्तकारों और कारीगरों के कल्याण के लिये आवश्यक व्यवस्था की जायेगी तथा अल्पसंख्यक वित्त निगम के माध्यम से उचित ब्याज दर पर आवश्यक ऋण उपलब्ध कराया जायेगा । प्रदेश में दंगों को रोकने के लिये एक विशेष पुलिस फोर्स गठित करने का प्रस्ताव है ।

उद्यमियों को प्रदेश में उद्योग लगाने के लिये आकृष्ट करने हेतु विशेष प्रयत्न किया जायेगा और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये राज्य के लिये नई औद्योगिक नीति को प्रतिपादित करने पर विचार किया जायेगा । उद्यमियों की समस्याओं को दूर करने के लिये त्वरित निर्णय लेने तथा प्रभावी समन्वय स्थापित करने की दृष्टि से औद्योगिक ढांचे में आवश्यक परिवर्तन भी किया जायेगा । इसके अतिरिक्त उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिये आवश्यकतानुसार उच्च स्तरीय अवस्थापना सुविधायें समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार उपलब्ध करायी जायेंगी । ऊर्जा, दूर संचार, भूमि, यातायात और अन्य अवस्थापना सुविधाओं को उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया जायेगा । श्रेष्ठ अवस्थापना की सुविधाओं की शीघ्र उपलब्धता के लिये निजी क्षेत्र को भी आमंत्रित कर उनकी भागीदारी के प्रश्न पर भी विचार किया जायेगा । प्रक्रिया और कार्य प्रणालियों का सरलीकरण करते हुये एकल विण्डो प्रणाली को सुदृढ़ और प्रभावी रूप दिया जायेगा तथा इंस्पेक्टर राज की समाप्ति के लिये ठोस कदम उठाया जायेगा । बीमार इकाइयों की रोकथाम तथा उनके पुनर्वास के लिये एक विस्तृत एवं ठोस नीति बनायी जायेगी । सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में कार्य कुशलता बढ़ाने के लिये उनके प्रबन्ध-तंत्र को मजबूत किया जायेगा, जिससे उनके द्वारा

प्रदत्त सेवाओं का स्तर और दक्षता बढ़ सके तथा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का ठीक से निर्वहन कर सकें। घाटे में चल रहे सार्वजनिक उपक्रमों में श्रमिकों के हित को सर्वोपरि रखते हुए, निजीकरण और निजी सहभागिता की सम्भावनाओं पर विचार किया जायेगा।

इलेक्ट्रानिक्स उद्योग के विकास के लिये उच्च स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है ताकि देश और विदेश की कम्पनियों को इलेक्ट्रानिक्स उद्योग लगाने के लिये आकृष्ट किया जा सके। इससे राज्य के तकनीकी योग्यता रखने वाले युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

उद्योगों के विकास के साथ-साथ श्रमिकों के हित को भी ध्यान में रखा जायेगा। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हित की रक्षा के लिए समुचित व्यवस्था की जायेगी। उद्योगों के प्रबन्धन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में भी विचार किया जायेगा।

वनों की उपयोगिता केवल पर्यावरण की दृष्टि से ही नहीं है बल्कि वन प्रकृति की एक बहुत बड़ी सम्पदा भी है जिसकी रक्षा करनी आवश्यक है। असामाजिक और अपराधी तत्व जिन्हें वन माफिया कहना उचित होगा, वन सम्पदा का अवैध दोहन करते हैं जिससे सार्वजनिक सम्पत्ति को बड़ी हानि होती है और साथ ही पर्यावरण को भी क्षति होती है। अतः इस समस्या के निराकरण के लिए भारतीय वन अधिनियम में समुचित संशोधन किये जाने पर विचार किया जा रहा है। उक्त संशोधन के उपरान्त वन माफिया द्वारा किये जा रहे वन सम्बन्धी अपराधों पर नियंत्रण किया जा सकेगा।

मेरी सरकार त्वरित न्याय दिलाने की दिशा में और वादों के त्वरित निस्तारण के लिए यथाशक्य आवश्यक व्यवस्था करेगी और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए न्यायालयों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी। न्यायालयों में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं।

नगरों और ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात की सुविधा में सुधार करने की दृष्टि से मार्गों के निर्माण में तेजी लाई जायेगी और मार्गों का सुधार किया जायेगा ताकि उद्योगों के लिए और कृषि उपज के परिवहन में असुविधा न हो। सड़कों की गुणवत्ता में सुधार किया जायेगा।

क्षेत्रीय असन्तुलन और असमानता दूर करने के लिए पूर्वांचल, बुन्देलखण्ड और पर्वतीय क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। मेरी सरकार उत्तराखण्ड राज्य बनाने के प्रति वचनबद्ध है। इस बीच उत्तराखण्ड में पेयजल संकट के निदान को प्राथमिकता दी जायेगी। आर्थिक विकास और विकास की आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया जायेगा।

नागर क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल, उपयुक्त प्रकाश व्यवस्था, जलोत्सारण, सफाई, स्वास्थ्य और मलिन बस्तियों के सुधार के लिये आवश्यक व्यवस्था की जायेगी। संविधान के 74वें संशोधन के अनुसार प्रदेश की नगरमहापालिकाओं, नगरपालिकाओं, आदि नागर स्थानीय निकायों से सम्बन्धित अधिनियमों में संशोधन करने के लिए एक विधेयक तैयार किया जा रहा है।

बिक्री-कर राज्य के कर राजस्व का प्रमुख स्रोत है। इससे प्रदेश के कर राजस्व का लगभग पचास प्रतिशत प्राप्त होता है। उद्योग तथा व्यापार में वृद्धि तथा छोटे व्यापारियों को सुविधायें देने के लिये मेरी सरकार कटिबद्ध है। राजस्व की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करते हुए बिक्री-कर की वर्तमान व्यवस्था को खत्म करके वैकल्पिक व्यवस्था की जायेगी जिससे व्यापारियों का उत्पीड़न न हो और उन्हें रिश्वत न देनी पड़े। आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबन्धों के क्रियान्वयन और वस्तुओं के सैम्पुल लेने के सम्बन्ध में व्यापारियों का उत्पीड़न रोकने के सम्बन्ध में आवश्यक उपाय किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त सैम्पुल की

की जांच करने के लिए प्रयोगशालाओं के विस्तार पर विचार किया जायेगा । व्यापारिक लाइसेंस जारी करने और उनके नवीनीकरण की प्रणाली में व्यापार मण्डलों के परामर्श से सुधार लाया जायेगा ।

अपराधों पर नियंत्रण करके नागरिकों एवं व्यापारियों के जान-माल की सुरक्षा का उचित प्रबन्ध किया जायेगा । जबरन धन वसूल करने वाले समाज विरोधी तत्वों पर अंकुश लगाया जायेगा । छोटे दुकानदारों, पटरी दुकानदारों, आदि का उत्पीड़न समाप्त किया जायेगा ।

महिलाओं की कठिनाइयों के निराकरण के लिए आवश्यक कदम उठाये जायेंगे और उनके अधिकारों की रक्षा तथा आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए मेरी सरकार प्रयत्न करेगी । गांवों में शौचालयों के अभाव में महिलाओं को होने वाली परेशानी के निराकरण के लिए हर गांव में उनके लिए पर्याप्त शौचालयों की व्यवस्था की जायेगी ।

मेरी सरकार की लोकतांत्रिक मूल्यों में गहन आस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा और आत्म सम्मान का अहसास हो तथा प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित हो । मेरी सरकार महात्मा गांधी, डा० राम मनोहर लोहिया और डा० बी० आर० अम्बेडकर के सादा तथा स्वच्छ आचारण की मान्यताओं को मानते हुए, मंत्रियों, विधायकों और अफसरों से सादा जीवन और स्वच्छ आचारण की अपेक्षा करेगी और साथ ही निष्पक्ष तथा स्वच्छ प्रशासन की प्रतिबद्धता पर कायम रहेगी । मुझे आशा है कि निष्पक्ष और स्वच्छ आचारण से एक अच्छा वातावरण पैदा होगा और ऐसे वातावरण में सामाजिक तथा आर्थिक विकास की सम्भावनाएं अधिकाधिक होंगी ।

माननीय सदस्यगण, मैंने अपनी सरकार की नीतियों की संक्षिप्त रूपरेखा आपके समक्ष प्रस्तुत की है । जैसा कि मैंने पूर्व में उल्लेख किया है मेरी सरकार को कार्यभार ग्रहण किये अभी पूरे 2 सप्ताह का समय भी व्यतीत नहीं हुआ है, अतः अभी अनेक पक्षों, समस्याओं और योजनाओं पर मेरी सरकार द्वारा गम्भीरता से विचार किया जायेगा और मैं विधान मण्डल के आगामी सत्र में अपनी सरकार की नीतियों की और विस्तृत तथा स्पष्ट रूप-रेखा प्रस्तुत करूंगा । विधान मण्डल के इस सत्र के पूर्व जो अध्यादेश मैंने प्रख्यापित किये हैं उनके प्रतिस्थानी तथा कुछ नये विधेयक आपके समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे, जिनको पारित करने की आपसे अपेक्षा की जायेगी । इस सत्र में वर्तमान वित्तीय वर्ष से सम्बन्धित अनुपूरक मांगें भी आपके समक्ष प्रस्तुत की जायेंगी जिनको और तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक को भी पारित करने की आपसे अपेक्षा की जायेगी ।

मुझे आशा है कि आप अपने व्यवहार और आचारण से प्रदेश में साम्प्रदायिक सद्भाव एवं भाई-चारे का वातावरण पैदा करेंगे जिससे कि यह राज्य विकास के कार्यक्रमों में त्वरित गति से आगे बढ़ सके । ।

इन शब्दों के साथ मैं आपको अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिये आहूत करता हूं । जयहिन्द ।''

(श्री अध्यक्ष द्वारा घोर व्यवधान के मध्य, मद संख्या–3 पुकारी गयी)

नोट :– । । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

(सदन के फ़्लोर पर खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी दल के सदस्य नारे लगाते रहे "कल्याण नहीं, सदन नहीं" कुछ सदस्य अध्यक्ष पीठ की ओर बढ़ने लगे तथा कागज के गोले बना कर अध्यक्ष पीठ की ओर फेंकने लगे जिससे घोर अव्यवस्था उत्पन्न हो गयी ।)

कृपया शान्ति बनाये रखें । (घोर व्यवधान)

मैं एक घन्टे के लिये सदन को स्थगित करता हूं ।

(इस समय 12 बजकर 34 मिनट पर श्री अध्यक्ष द्वारा सदन की कार्यवाही 1 घन्टे के लिए स्थगित कर दी गयी । 1 बजकर 34 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 3 बजे तक के लिए और बढ़ा दिया है । 3 बजे डिप्टी मार्शल ने पुनः सूचित किया कि मा० अध्यक्ष ने सदन का उपवेशन आज स्थगित कर दिया है ।)

(इसके बाद सदन अपराह्न 3 बजे अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :

16 दिसम्बर, 1993

प्रेम चन्द्र सक्सेना,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी०–एल० 123 विधान सभा (214)–1994–572 प्रतियां (डी० टी० पी०) ।